

31/10
2019

बनावली आज प्रस्तुत हुई।
बहुलाय करी केम अरिखत।
इस आरील का निर्णय
अलग से लिखवाया व सुनाया
जाया। शा. मेल किन्तु अरवाया
गया।

AM
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आपील निर्दिष्ट है अनुसूचि

आपीलान्तर द्वारा प्रस्तुत उर्विना

पत्र अन्तर्गत धारा 5 के अन्तर्गत

अधिनियम के अन्तर्गत है कि

आपील आपीलान्तर के अन्तर्गत

आपीलान्तर के अन्तर्गत है कि

गया।

पत्रावली के अन्तर्गत अनुसूचि

के अन्तर्गत है कि

आपीलान्तर है।

निर्दिष्ट है कि

अनुसूचि गया।

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा